महिला और बाल विकास मंत्रालय

मांग संख्या 104

महिला और बाल विकास मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		7350.00	78.00	7428.00	8550.00	74.00	8624.00	11000.00	70.50	11070.50
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**7350.00**	**78.00**	**7428.00**	**8550.00**	**74.00**	**8624.00**	**11000.00**	**70.50**	**11070.50**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं (आईटी)	2251	1.00	17.44	18.44	1.30	18.10	19.40	2.00	17.11	19.11
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
बाल कल्याण										
2. समेकित बाल विकास सेवाएं	2235	34.59	...	34.59	20.83	...	20.83	25.20	...	25.20
(आईसीडीएस)	3601	5911.21	...	5911.21	7249.01	...	7249.01	7699.51	...	7699.51
	3602	80.50	...	80.50	74.96	...	74.96	82.00	...	82.00
	जोड़	*6026.30*	*...*	*6026.30*	*7344.80*	*...*	*7344.80*	*7806.71*	*...*	*7806.71*
3. विश्व बैंक आईसीडीएस-IV	2235	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
परियोजना	3601	...	...	...	...	...	...	125.98*	...	125.98
	3602	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
	जोड़	...	...	...	...	...	...	126.00	...	126.00
4. यूनिसेफ को अंशदान	2235	...	3.80	3.80	...	3.80	3.80	...	3.80	3.80
5. राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं										
बाल विकास संस्थान (निपसिड)	2235	10.00	14.15	24.15	6.70	14.80	21.50	9.00	13.50	22.50
6. कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु										
राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम	2235	90.00	1.52	91.52	90.00	0.05	90.05	63.00	0.35	63.35
7. शिशुगृह योजना	2235	2.70	...	2.70	1.80	...	1.80	...	...	...
8. बेसहारा बच्चों हेतु समेकित स्कीम	2235	9.00	...	9.00	4.50	...	4.50	...	...	...
9. कामकाजी बच्चों के कल्याण और जरूरतमंद										
बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण की स्कीम	2235	6.30	...	6.30	9.00	...	9.00	11.25	...	11.25
10. किशोरों के कुसामंजस्य का निवारण	2235	0.20	...	0.20	0.10	...	0.10	...	...	...
एवं नियंत्रण की स्कीम	3601	15.80	...	15.80	7.90	...	7.90	...	...	...
	3602	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	...	...	...
	जोड़	18.00	...	18.00	9.00	...	9.00	...	...	...
11. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी	2235	1.80	2.00	3.80	0.64	1.15	1.79	1.80	1.50	3.30
12. समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	2235	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	22.00	...	22.00
	3601	35.00	...	35.00	31.00	...	31.00	240.00	...	240.00
	3602	7.00	...	7.00	1.00	...	1.00	8.00	...	8.00
	जोड़	54.00	...	54.00	44.00	...	44.00	270.00	...	270.00
13. बालिकाओं हेतु बीमा सहित सशर्त नकद										
हस्तांतरण स्कीम	2235	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
14. किशोरियों की अधिकारिता के लिए राजीव	2235	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	3.00	...	3.00
गांधी योजना	3601	97.00	...	97.00	3.50	...	3.50	882.00	...	882.00
	3602	1.40	...	1.40	0.40	...	0.40	15.00	...	15.00
	जोड़	99.00	...	99.00	4.50	...	4.50	900.00	...	900.00
15. अन्य योजनाएं	2235	56.50	0.68	57.18	52.10	0.55	52.65	58.10	0.68	58.78
जोड़-बाल कल्याण		*6383.60*	*22.15*	*6405.75*	*7572.04*	*20.35*	*7592.39*	*9255.86*	*19.83*	*9275.69*
महिला कल्याण										
16. महिला शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठयक्रम	2235	6.30	...	6.30	6.30	...	6.30	9.00	...	9.00
17. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	2235	8.98	...	8.98	8.98	...	8.98	13.48	...	13.48
	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*9.00*	*...*	*9.00*	*9.00*	*...*	*9.00*	*13.50*	*...*	*13.50*
18. प्रशिक्षण और रोजगार										
कार्यक्रम को सहायता	2235	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	22.00	...	22.00
19. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	2235	23.40	20.07	43.47	23.40	18.30	41.70	38.25	19.00	57.25
20. अल्पावास गृह	2235	14.40	1.50	15.90	14.40	1.35	15.75	22.50	0.75	23.25
21. जागरूकता सृजन कार्यक्रम	2235	5.40	...	5.40	5.40	...	5.40	3.00	...	3.00
22. राष्ट्रीय महिला आयोग	2235	4.50	4.56	9.06	4.50	4.30	8.80	4.50	3.25	7.75
23. राष्ट्रीय महिला कोष	2235	20.00	...	20.00	16.00	...	16.00	15.00	...	15.00
24. स्वयंसिद्धा-चरण-II	2235	4.97	...	4.97	0.03	...	0.03	1.00	...	1.00
	3601	13.55	...	13.55	0.01	...	0.01	3.50	...	3.50
	3602	1.48	...	1.48	0.01	...	0.01	0.50	...	0.50
	जोड़	20.00	...	20.00	0.05	...	0.05	5.00	...	5.00
25. स्वाधार	2235	13.50	...	13.50	13.50	...	13.50	30.00	...	30.00
26. देह व्यापार की रोकथाम की व्यापक योजना	2235	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	9.00	...	9.00

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
27. प्रियदर्शिनी स्कीम	2235	27.00	...	27.00	1.22	...	1.22	29.79**	...	29.79
28. अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व के विकास की स्कीम	2235	0.10	...	0.10	...	...	...	...	...	...
	3601	0.70	...	0.70	...	...	...	...	...	...
	3602	0.10	...	0.10	...	...	...	...	...	...
	जोड़	0.90	...	0.90	...	...	...	...	...	...
29. महिलोन्मुख बजट आयोजना और लैंगिक आंकड़े	2235	1.80	...	1.80	0.45	...	0.45	1.80	...	1.80
30. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (पूर्ववर्ती सशर्त मातृत्व लाभ योजना)	2235	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	2.00	...	2.00
	3601	3.00	...	3.00	0.50	...	0.50	344.00	...	344.00
	3602	0.30	...	0.30	0.10	...	0.10	5.00	...	5.00
	जोड़	3.60	...	3.60	0.90	...	0.90	351.00	...	351.00
31. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन	2235	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	40.00	...	40.00
32. अन्य कार्यक्रम (बलात्कार की शिकार महिलाओं को राहत एवं पुनर्वास)	2235	53.10	0.20	53.30	0.01	0.15	0.16	36.00	0.20	36.20
जोड़-महिला कल्याण		*220.40*	*26.33*	*246.73*	*112.63*	*24.10*	*136.73*	*630.34*	*23.20*	*653.54*
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पोषाहार		*6604.00*	*48.48*	*6652.48*	*7684.67*	*44.45*	*7729.12*	*9886.20*	*43.03*	*9929.23*
33. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	2236	0.60	...	0.60	0.01	...	0.01	0.60	...	0.60
	3601	0.30	...	0.30	0.01	...	0.01	0.30	...	0.30
	3602	0.10	...	0.10	0.01	...	0.01	0.10	...	0.10
	जोड़	*1.00*	*...*	*1.00*	*0.03*	*...*	*0.03*	*1.00*	*...*	*1.00*
34. अन्य योजनाएं (पोषाहार शिक्षा योजना)	2236	9.00	12.08	21.08	9.00	11.45	20.45	10.80	10.36	21.16
जोड़-पोषाहार		*10.00*	*12.08*	*22.08*	*9.03*	*11.45*	*20.48*	*11.80*	*10.36*	*22.16*
35. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान										
35.01 समाज कल्याण-बाल कल्याण हेतु प्रावधान	2552	715.40	...	715.40	841.85	...	841.85	1038.14	...	1038.14
35.02 समाज कल्याण - महिला कल्याण हेतु प्रावधान	2552	18.60	...	18.60	12.15	...	12.15	60.66	...	60.66
35.03 पोषाहार हेतु प्रावधान	2552	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.20	...	1.20
	जोड़	*735.00*	*...*	*735.00*	*855.00*	*...*	*855.00*	*1100.00*	*...*	*1100.00*
कुल जोड़		***7350.00***	***78.00***	***7428.00***	***8550.00***	***74.00***	***8624.00***	***11000.00***	***70.50***	***11070.50***

* इसमें ईएपी घटक के रूप में 88.00 करोड़ रुपए शामिल हैं।

** इसमें ईएपी घटक के रूप में 27.79 करोड़ रुपए शामिल हैं।

ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	1.00	...	1.00	1.30	...	1.30	2.00	...	2.00
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22235	6604.00	...	6604.00	7684.67	...	7684.67	9886.20	...	9886.20
3. पोषाहार	22236	10.00	...	10.00	9.03	...	9.03	11.80	...	11.80
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	735.00	...	735.00	855.00	...	855.00	1100.00	...	1100.00
जोड़		**7350.00**	**...**	**7350.00**	**8550.00**	**...**	**8550.00**	**11000.00**	**...**	**11000.00**

1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं : यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय पर खर्च हेतु है । इसमें मंत्रालय में ई-शासन कार्यकलापों के सुदृढ़ीकरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोगों, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की खरीद, प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता पर व्यय भी शामिल है ।

2. समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) : इसके अंतर्गत प्रावधान छह व-र् तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं को स्वास्थ्य, पो-ाण तथा शैक्षणिक सेवाओं का समेकित पैकेज प्रदान करने के लिए है । इस पैकेज में पूरक पो-ाण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रैफरल सेवाएं, पो-ाण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा शामिल है । स्कीम को सर्वसुलभ बनाने के लिए 792 अतिरिक्त परियोजनाएं और लगभग 3 लाख आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए हैं, जिनसे परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 7076 और आंगनवाड़ी केंद्रों/लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़कर 14 लाख हो गई है, जिनमें 20 हजार मांग पर आंगनवाड़ियां शामिल हैं । वित्त व-र् 2009-10 से भारत सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच आई.सी.डी.एस. की निधियन पद्धति में आशोधन किया है । पूरक पो-ाण घटक को छोड़कर अन्य सभी घटकों हेतु केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच राशि के बंटवारे की पद्धति को बदलकर 90: 10 कर दिया गया है । पूरक पो-ाण कार्यक्रम हेतु पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए अनुपात 50: 50 बना रहेगा । पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में पूरक पो-ाण के लिए अनुपात को 90: 10 कर दिया गया है । आई.सी.डी.एस. हेतु आबंटन 2009-10 में 6705 करोड़ रुपये से बढ़ाकर व-र् 2010-11 में 8700 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन हेतु 893.29 करोड़ रुपये की राशि शामिल है ।

3. विश्व बैंक आई.सी.डी.एस.-IV परियोजना : इसके अंतर्गत ऐसे चुनिंदा जिलों में, जहां बाल कुपो-ाण का स्तर बहुत ऊंचा है, आवश्यक तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता के माध्यम से प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और सेवा प्रदायगी में सुधार करने पर बल दिया जाएगा । इस परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी कार्यकलाप आई.सी.डी.एस.(सामान्य) के अंतर्गत चलाई जा रही गतिविधियों के अतिरिक्त होंगे। परियोजना हेतु 126 करोड़ रुपये के प्रावधान में 88 करोड़ रुपये का बाह्य सहायता घटक भी शामिल है ।

4. यूनीसेफ को अंशदान : यह प्रावधान यूनीसेफ को भारत द्वारा दिए जाने वाले अंशदान और नई दिल्ली में इसके कार्यालय के प्रशासनिक व्यय के लिए है ।

5. रा-ट्रीय जन-सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) : इसका उद्देश्य बच्चों के सामाजिक विकास, बाल विकास के व्यापक दृ-टिकोण और रा-ट्रीय बाल नीति के अनुपालनार्थ कार्यक्रमों के संवर्धन हेतु स्वैच्छिक कार्रवाई का विकास और प्रोन्नति करना है । यह संस्थान अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगो-ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों को आयोजित करता है, जन-सहयोग तथा बाल विकास के क्षेत्र में सूचना सेवाएं प्रदान करता है तथा गोवाहाटी, बेंगलूर, इंदौर और लखनऊ स्थित अपने चार क्षेत्रीय केन्द्रों सहित नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परामर्श सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है । यह संस्थान स्व-सहायता दल आधारित महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमों, स्वैच्छिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं तथा आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं हेतु एक अग्रणी प्रशिक्षण अभिकरण के रूप में उभर कर आया है ।

6. कामकाजी माताओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी रा-ट्रीय शिशुगृह स्कीमः स्कीम का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जिनकी पारिवारिक आय 12,000/-रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, के 0-6 व-र्ा की आयु वर्ग के बच्चों को दिवस देखभाल सेवाएं प्रदान करना है । इस स्कीम के अंतर्गत चलाए जा रहे शिशु गृह ऐसे बच्चों को, जिनके माता-पिता दूर कार्य स्थलों पर हैं या बीमारी के कारण अक्षम हैं तथा जो अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हैं, स्वास्थ्य देखभाल, पूरक पो-ाण, स्वास्थ्य जांच एवं प्रतिरक्षण आदि सेवाएं उपलब्ध कराते हैं ।

7. शिशुगृह स्कीम : अब इस स्कीम का समेकित बाल संरक्षण स्कीम में विलय कर दिया गया है ।

8. बेसहारा बच्चों हेतु समेकित स्कीम : अब इस स्कीम का समेकित बाल संरक्षण स्कीम में विलय कर दिया गया है ।

9. देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों तथा कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम : इस स्कीम का उद्देश्य कामकाजी बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे कि ऐसे बच्चों जिन्होंने या तो शिक्षा प्रणाली में प्रवेश नहीं लिया है अथवा किन्हीं अन्य कारणों से उनकी शिक्षा अधूरी रह गई है, उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में प्रवेश/पुनः प्रवेश दिलाया जा सके, ताकि उनको और अधिक शो-ाण से बचाया जा सके । इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रम मंत्रालय की परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बाल श्रमिकों तथा संभावित बाल श्रमिकों, विशे-ाकर मलिन बस्तियों/फुटपाथ पर जीवन बिताने वाले/नशे के आदी बच्चों, रेलवे प्लैटफार्मों पर/रेलवे लाइनों के किनारे रहने वाले बच्चों, दुकानों एवं ढाबों में काम करने वाले बच्चों, घरेलू नौकरों के रूप में कार्यरत बच्चों, उन बच्चों जिनके माता-पिता जेल में हैं, प्रवासी श्रमिकों/यौन कर्मियों, कु-ठ रोगियों आदि के बच्चों के समग्र विकास हेतु सहायता प्रदान की जाती है ।

10. किशोरों के सामाजिक कुसमंजन के निवारण एवं नियंत्रण हेतु स्कीमः अब इस स्कीम का समेकित बाल संरक्षण स्कीम में विलय कर दिया गया है ।

11. केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण : केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की स्थापना व-र्ा 1990 में की गई तथा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसे पंजीकृत किया गया । इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य भारतीय बच्चों के देश से बाहर दत्तक ग्रहण को विनियमित करने के अलावा, देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना है ।

12. समेकित बाल संरक्षण स्कीम : मंत्रालय ने केन्द्रीय प्रायोजित इस स्कीम का प्रारंभ देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा कमजोर वर्गों के अन्य बच्चों के व्यापक विकास हेतु एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए किया है । यह स्कीम मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से वित्तीय व-र्ा 2009-10 से क्रियान्वित की जा रही है । क्रम सं. 7, 8 और 10 पर दर्शाई गई स्कीमों का इस व्यापक स्कीम में विलय कर दिया गया है और इसमें नए घटक शामिल किए गए हैं । कार्यक्रम घटकों में आश्रय गृह, बाल गृह, विशे-ा गृह जैसी संस्थागत सेवाएं; केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर समर्पित सेवा प्रदायगी संरचनाएं; प्रायोजन, अभिवावक देखभाल, दत्तक ग्रहण, देखभाल उपरांत कार्यक्रम के माध्यम से परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखभाल; चाइल्डलाइन तथा बालक खोज प्रणाली के माध्यम से आपात सेवाएं शामिल हैं ।

13. बालिकाओं हेतु बीमा सहित सशर्त नकद हस्तांतरण स्कीम (धनलक्ष्मी): यह स्कीम बालिकाओं के साथ उनके जीवन में कदम-कदम पर किए जाने वाले भेदभाव, जैसे मादा भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, शिक्षा सुविधाओं, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं का अभाव, हिंसा एवं उत्पीड़न, बाल विवाह, कम उम्र में बच्चों को जन्म देने, बार-बार गर्भधारण एवं प्रसव आदि के निवारण हेतु पिछड़े जिलों तथा शैक्षिक दृ-टि से पिछड़े ब्लॉकों के मानदंडों के आधार पर चुने गए कुछ ब्लॉकों में चलाई जा रही केंद्रीय क्षेत्र की प्रायोगिक स्कीम है । नकद हस्तांतरण बालिकाओं के परिवार (जहां तक संभव होगा माताओं को) को कुछ शर्तों के अध्यधीन अर्थात् बालिका के जन्म का पंजीकरण, प्रतिरक्षण, स्कूल में नामांकन तथा पढ़ाई जारी रखवाने और 18 व-र्ा की आयु के बाद विवाह करने की शर्तों को पूरा करने पर किया जाएगा ।

14. राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम (सबला) : यह स्कीम 11-18 व-र्ा के आयु वर्ग की किशोरियों के लिए एक नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। यह स्कीम समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के मंच का उपयोग करते हुए कार्यान्वित की जाएगी । आंगनवाड़ी केंद्र इस स्कीम के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र बिंदु होंगे । किशोरियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के पैकेज में पो-ाण प्रावधान, आई.एफ.ए. अनुपूरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं, पो-ाण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा परिवार कल्याण, बच्चों और घर की देखरेख के संबंध में परामर्श/मार्गदर्शन, जीवन कौशल शिक्षा एवं सार्वजनिक सेवाओं के लाभ उन तक पहुंचाना, व्यावसायिक प्रशिक्षण(16 व-र्ा से अधिक आयु की बालिकाओं के लिए) शामिल हैं ।

15. अन्य स्कीमें (बाल कल्याण) : इनमें रा-ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, रा-ट्रीय बाल बोर्ड, रा-ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार, विश्व बाल दिवस, भारत विदेशी विनिमय कार्यक्रम, संयुक्त रा-ट्र को अंशदान, अनुसंधान प्रकाशन, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, सूचना और जन-प्रचार माध्यमों तथा प्रकाशन हेतु किए जाने वाले प्रावधान शामिल हैं ।

16. महिला शिक्षा हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम : इस स्कीम का क्रियान्वयन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से किया जाता है । इस स्कीम का उद्देश्य उन महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना है, जो विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने में असमर्थ होती हैं । इस स्कीम का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करना है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर स्कूल स्तर की परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं ।

17. कामकाजी महिला होस्टल : इस स्कीम में कामकाजी महिलाओं तथा रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं और स्कूली शिक्षा पूरी करने के उपरान्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रही छात्राओं को सुरक्षित एवं सस्ता आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है । यह स्कीम महिला/समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य अभिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, महिला विकास निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है ।

18. प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता : इस स्कीम का उद्देश्य कृ-ि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन, हथकरघा, हस्तशिल्प जैसे **परम्परागत क्षेत्रों** अथवा स्थानीय रूप से व्यवहार्य किसी अन्य क्षेत्र में महिलाओं के कौशलों में सुधार लाकर इन क्षेत्रों में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा उनकी आयोत्पादक क्षमताओं में वृद्धि करना है ।

19. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड : देश में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच मध्यस्थ के रूप में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना व-र्ा 1953 में की गई । कई व-र्ाों से, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड विशे-ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाता रहा है । इस समय चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम, जागरुकता विकास कार्यक्रम, शिशुगृह स्कीम, परिवार परामर्श केन्द्र, महिला मण्डल तथा अल्पावास गृह शामिल हैं । इन स्कीमों का क्रियान्वयन राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है ।

20. अल्पावास गृह : यह स्कीम ऐसी महिलाओं और कन्याओं की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए है, जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनावों, सामाजिक बहि-कार, शो-ाण अथवा अन्य कारणों से सामाजिक और नैतिक संकटों का सामना कर रही हैं। इस स्कीम में चिकित्सा देखभाल, मामला विशि-ट सेवाएं, व्यावसायिक उपचार, शिक्षा, व्यावसायिक तथा मनोरंजन कार्यकलाप और सामाजिक समायोजन सुविधाओं जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं । मंत्रालय ने कुछ अल्पावास गृहों में विपदाग्रस्त महिलाओं के लिए हैल्पलाइन सेवाएं शुरू की हैं ।

21. जागरूकता विकास कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं/समस्याओं का पता लगाने तथा उनके सम्मुख आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए उनमें संगठित होकर कार्य करने की भावना पैदा करना है । यह कार्यक्रम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है ।

22. रा-ट्रीय महिला आयोग : रा-ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के अधिकारों एवं हितों का संरक्षण करने तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी केन्द्रीय एवं राज्य कानूनों की समीक्षा करने का अधिदेश प्राप्त है । आयोग महिलाओं की शिकायतों के समाधान हेतु उनसे याचिकाएं प्राप्त करता है । यह अपने अधिदेश के अंतर्गत कर्तव्यों के नि-पादन तथा अपने अनुरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त-पोि-त एक सांविधिक निकाय है ।

23. रा-ट्रीय महिला को-ा : रा-ट्रीय महिला को-ा की स्थापना व-र्ा 1993 में 31 करोड़ रुपये की प्रारंभिक कोरपस निधि से की गयी, जिसे व-र्ा 2006-07 से 2009-10 के दौरान बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है । इसके अंतर्गत बिना किसी ऋणाधार के अर्द्ध-औपचारिक सेवा तंत्र के माध्यम से निर्धन एवं वंचित महिलाओं को लघु ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें गैर-सरकारी संगठन, महिला सहकारिताएं और संघ आदि मध्यवर्ती संगठनों के रूप में कार्य करते हैं । आगामी कुछ व-र्ाों में को-ा की कोरपस राशि का बढ़ाकर 500.00 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है

24. स्वयंसिद्धा - चरण II : यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्व-सहायता दलों के गठन, जागरुकता विकास, आर्थिक सशक्तिकरण एवं विभिन्न स्कीमों के संकेन्द्रण के माध्यम से महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण की एक समेकित स्कीम है । स्वयंसिद्धा स्कीम के चरण-I का क्रियान्वयन 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 650 ब्लॉकों में किया गया । स्वयंसिद्धा के चरण-II का क्रियान्वयन पूरे देश के सभी ब्लॉकों में किया जाएगा तथा महिला विकास संसूचकों के आधार पर पिछड़े राज्यों में इसका और अधिक प्रसार किया जाएगा ।

25. स्वाधार : कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रही महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परियोजना आधारित दृ-टिकोण अपनाए जाने की जरूरत को महसूस करते हुए, स्वाधार स्कीम व-र्ा 2001-02 में शुरू की गई । स्कीम का उद्देश्य विधवाओं, देह-व्यापार से पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित, मानसिक रूप से विक्षिप्त तथा निराश्रित महिलाओं का व्यापक पुनर्वास करना है । स्कीम में महिलाओं के लिए भोजन एवं आश्रय, परामर्श, चिकित्सा सुविधाएं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । स्कीम में विपदाग्रस्त महिलाओं के लिए हेल्पलाइन स्थापित करने का भी प्रावधान है ।

26. देह-व्यापार को रोकने की व्यापक स्कीम (उज्ज्वला) : इस स्कीम का उद्देश्य अवैध देह व्यापार का निवारण और अवैध व्यापार पीड़ित महिलाओं के बचाव एवं उनके पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान करना है । यह स्कीम मुख्य रूप से गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही है ।

27. प्रियदर्शिनी स्कीम : महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका कार्यक्रम के रूप में यह परियोजना उत्तर प्रदेश के चार जिलों और बिहार के दो जिलों में अंतरा-ट्रीय कृ-ि विकास को-ा की बाह्य सहायता से शुरू की जानी है । इस परियोजना के लिए 29.79 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें 27.79 करोड़ रुपये का बाह्य सहायता घटक शामिल है ।

29. महिलोन्मुख बजट आयोजना एवं आंकड़े : इस स्कीम में मंत्रालय में महिलोन्मुख बजट आयोजना ब्यूरो गठित करने का प्रावधन है । इस स्कीम में कार्यशालाओं का आयोजन करने तथा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों के विभागों तथा राज्य महिला आयोगों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थाओं आदि को महिलोन्मुख बजट आयोजना की अवधारणा, कार्यनीतियों एवं उपायों की जानकारी देने तथा विभिन्न पक्षों द्वारा महिलोन्मुख बजट आयोजना के अंगीकरण को सुगम बनाने हेतु प्रशिक्षण नियमावलियां तैयार करने का प्रावधान भी है ।

30. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना : यह प्रस्तावित स्कीम केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसमें कुछ विशि-ट शर्तें पूरी करने पर गर्भवती और धात्री महिलाओं को गर्भधारण से लेकर 6 महीने तक स्तनपान कराने तक सीधे नकद राशि प्रदान करने की परिकल्पना की गई है । इस स्कीम का अल्पकालिक उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और दीर्घकालिक उद्देश्य उनके व्यवहार और दृ-टिकोण में परिवर्तन लाना है ।

31. रा-ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन : यह प्रस्तावित स्कीम डा0 ए.आर. किदवई की अध्यक्षता में गठित राज्यपालों की समिति की सिफारिशों का परिणाम है। प्रस्तावित रा-ट्रीय मिशन अंतरमत्रालयी संकेन्द्रण तंत्र होगा, जो महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं की महिला सशक्तिकरण संबंधी स्कीमों, नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगा और विभिन्न पक्षों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा ।

32. अन्य कार्यक्रम (बलात्कार पीड़ितों को राहत और उनका पुनर्वास) : यह प्रस्तावित स्कीम बलात्कार की पीड़ित महिलाओं को राहत एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए है ।

33. रा-ट्रीय पो-ाण मिशन : प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में रा-ट्रीय पो-ाण मिशन की स्थापना व-र्ा 2003 में की गई । रा-ट्रीय पो-ाण मिशन की कार्यकारी समिति की अध्यक्षा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं । इस मिशन का मूल उद्देश्य बड़े पैमाने पर व्याप्त कुपो-ाण की समस्या का निवारण करना है ।

34. अन्य स्कीमें [पो-ाण शिक्षा स्कीम (खा0पो0बो0)] : भारत सरकार ने व-र्ा 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में रा-ट्रीय पो-ाण नीति अंगीकृत की तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पो-ाण हेतु नोडल मंत्रालय बनाया । खाद्य एवं पो-ाण बोर्ड मुख्यतः पो-ाण शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यकलापों तथा रा-ट्रीय पो-ाण नीति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई में संलग्न है ।

35. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों हेतु प्रावधान: पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लाभार्थ 1100.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । व-र्ा के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों एवं सिक्किम के लाभार्थ अलग-अलग स्कीमों के लिए निधियों को इस प्रावधान से पुनर्विनियोजित किया जाएगा ।